कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी, जोधपुर–342001

क्रमांक : एफ–37/निदे. आयो./ले–आऊट/2015/ 513-518 **दिनांक :** 20/04/2015

:: ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 20.04.2015 का कार्यवाही विवरण ::

आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में गठित ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 20.04.2015 को प्रातः 11.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यो/अधिकारियों ने भाग लिया :–

1.	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, उपायुक्त (पूर्व/दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य
2.	श्री ओ.पी. बुनकर, उपायुक्त (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य
3.	श्री मोहनसिंह राजपुरोहित, उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य
4.	श्री ज्ञानेश्वर व्यास, निदेशक (अभियांत्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य
5.	श्री पी.आर. बेनीवाल, निदेशक (आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य सचिव

समिति के समक्ष निम्नलिखित ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया एवं समिति द्वारा उन पर विचार–विमर्श कर उनके आगे अंकितानुसार निर्णय लिए गयें :–

1. **राजस्व ग्राम सिन्धियों की ढाणी, खसरा नं0 469/14 के रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर पैट्रोल–पम्प प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन।**
आवेदक ::– श्रीमती प्रवीणा कंवर पत्नी श्री जितेन्द्रसिंह
प्रकरण सं. ::– 131/14

राजस्व ग्राम सिन्धियों की ढाणी, खसरा नं0 469/14 के रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 के नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा पैट्रोल–पम्प प्रस्तावित किया गया है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 पार्ट–1, जयपुर, दिनांक 23 अगस्त, 2012 द्वारा ग्रामीण एरिया में पैट्रोल–पम्प अनुज्ञेय उपयोग माना गया है। प्रश्नगत भूमि जोधपुर–मथानिया बाईपास सड़क पर स्थित है जिसे 200 फीट किया जाना प्रस्तावित है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई

आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त भूमि रामपुरा से मथानिया बाईपास मुख्य सडक पर स्थित है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार विमर्श कर योजना मे मानचित्र मे दर्शाये अनुसार प्रस्तावित भूमि जोधपुर–मथानिया सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 200' फुट करने का निर्णय लिया गया है। प्रार्थी द्वारा सड़क के मध्य से 100' छोड़ते हुए, प्रार्थी द्वारा आवेदन किया गया है। प्रस्तावित भूमि टोल प्लाजा से नियमानुसार अपेक्षित दूरी 1000 मीटर से ज्यादा पर विद्यमान है। दोनों तरफ 1 कि.मी. की परिधि में अन्य पेट्रोल पम्प स्थित नहीं है। पेट्रोल पम्प स्थापना मे इण्डियन रोड कांग्रेस, एम.ओ.आर.टी.एच. भवन विनियमों के मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी। पेट्रोल पम्प स्थापना से पूर्व जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनिमय–2013 के प्रावधानों के अनुरूप सक्षम स्तर पर भवन मानचित्र स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावें।

2. **राजस्व ग्राम बोरावास के खसरा नं0 212/27 के रकबा 14 बिस्वा 02 बिस्वांसी भूमि पर गैस गोदाम प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–उत्तर)**
आवेदक :– श्री शंकरलाल पुत्र श्री मांगीलाल,
प्रकरण संख्या :– 151/14

राजस्व ग्राम बोरावास खसरा नं. 212/27 के रकबा 14 बिस्वा 02 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 मे भू–उपयोग परिधि नियन्त्रण पट्टी मे आरक्षित है जिस पर प्रार्थी द्वारा गैस गौदाम प्रस्तावित किया गया है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 पार्ट–1, जयपुर दिनांक 03.10.2012 के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र गैस गोदाम तकनीकी मानदण्डों की अनुपालना में किये जाने की शर्त पर अनुज्ञेय उपयोग माना है। प्रश्नगत भूमि बोरावास से जाजीवाल जाने वाली सडक से अनियोजित रूप से विकसित योजना मे से होते हुए 40 फीट पहुंच मार्ग प्रस्तावित किया गया है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। लेकिन आवेदित भूमि खसरा नं. 212/27 की राजस्व नक्शे मे तरमीम नही है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार विमर्श कर प्रश्नगत भूमि बोरावास से जाजीवाल जाने वाली सडक से अनियोजित रूप से विकसित योजना मे से होते हुए 40 फीट पहुंच मार्ग प्रस्तावित करने हेतु प्रार्थी द्वारा समर्पणनामा प्रस्तुत किया गया। राजस्व नक्शे मे तरमीम नही होने से प्रकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी उक्तानुसार भूमि की तरमीम करवाकर पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावें।

4. **राजस्व ग्राम भाण्डु कला के खसरा नं. 374/122 के रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा मे से 9 बीघा भूमि पर फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–दक्षिण)**
आवेदक :– श्री रामलाल पुत्र श्री बुधाराम
प्रकरण संख्या :– 13/15

राजस्व ग्राम भाण्डु कलां खसरा नं. 374/122 के रकबा 9 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 मे भू–उपयोग परिधि नियन्त्रण पट्टी मे आरक्षित है जिस पर प्रार्थी द्वारा एकल फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.10(73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.2005 के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में फार्म हाऊस अनुज्ञेय है। प्रश्नगत भूमि जोधपुर–बाड़मेर मुख्य सडक के पश्चिमी दिशा की तरफ जाने वाली 36 फीट सडक पर स्थित है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार–विमर्श कर निर्णय लिया कि जोधपुर से बाडमेर जाने वाली मुख्य सडक की पश्चिमी दिशा की तरफ जाने वाली 36 फीट सडक की एप्रोच रोड की भूमि प्राधिकरण के हित में पंजीकृत दस्तावेज द्वारा समर्पित करवाने के पश्चात् पंजीकृत दस्तावेज इस कार्यालय मे प्रस्तुत करें। उक्त भूमि के पीछे नाला अंकित किया गया है अतः नाले के बहाव क्षेत्र एवं डूब क्षेत्र मे आने वाली भूमि का संबंधित विभाग से चिन्हिकरण करवाकर संबंधित सिंचाई/जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

5. **राजस्व ग्राम ढण्ढ के खसरा नं. 1 पार्ट व 2 पाट की 20 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन। (जोन–पूर्व)**
आवेदक :– मैसर्स सन आर्ट एक्सपोर्ट जरिये भागीदारान् श्री मुकेश जैन पुत्र श्री मदनलाल जैन, मैसर्स क्लासिक होम फर्निशिंग प्राईवेट लिमिटेड (पंजीकृत कम्पनी) वगैरह
प्रकरण संख्या :– 162/14

पूर्व मे इस प्रकरण बाबत् दिनांक 21.07.2014 की ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक मे निर्णय लिया जा चुका है अतः प्रकरण पर विचार नही किया गया।

6. **राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नं. 1096/1601 के रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–दक्षिण)**
आवेदक :– श्री पदमराज अब्बानी पुत्र श्री पुखराज
प्रकरण संख्या 41/14

राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नं. 1096/1601 के रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 मे भू–उपयोग औद्योगिक आरक्षित है जिस पर प्रार्थी द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। मौके पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र का एक्जाई ले–आउट प्लान मे खसरा नं. मार्क कर एवं मौके पर स्थित सडको की चौडाई ले–आउट प्लान प्रस्तुत होने पर प्रकरण को आगामी बैठक मे रखने का निर्णय लिया गया।

7. **राजस्व ग्राम बावड़ी के खसरा नं. 1880, 1881, 1883 के रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–उत्तर)**
आवेदक :– श्री जगाराम पुत्र श्री किशनाराम मेघवाल
प्रकरण संख्या 139/14

राजस्व ग्राम बावडी के खसरा नं. 1880, 1881, 1883 के रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 की सीमा से बाहर ग्रामीण एरिया मे स्थित है। जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.10(73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.2005 के अनुसार ग्रामीण एरिया में फार्म हाऊस अनुज्ञेय है। प्रश्नगत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–65 के पूर्व मे ग्राम बावडी के पश्चात् लगभग 3 किमी दूरी पर स्थित है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

उपायुक्त उतर के पत्र क्रमांक 287 दिनांक 10.04.2015 मे अवगत करवाया कि तहसीलदार बावडी से प्राप्त रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान मे पहुंच मार्ग 60 फीट खसरा नं. 1881 स्वयं की खातेदारी मे से दर्शाया गया है जबकि मौके पर पहुंच मार्ग 25 फीट है तथा राजस्व नक्शे मे रास्ता नही है परन्तु मौके पर बावडी जोईन्तरा मुडिया सडक मे से रास्ता संलग्न नक्शा अनुसार (पटवारी हल्का बावडी–प्रथम द्वारा जारी अनुसार) खसरा नं. 1900, 1889 मे से चलना पाया गया है जो अन्य व्यक्तियों की खातेदारी मे दर्ज है। प्रकरण मे समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चूंकि मौके पर रास्ता चालु है तथा तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार कदीमी रास्ता है तथा मुडिया सडक बनी हुई है अतः मौके पर उपलब्ध रास्ते को 60 फीट एवं एच.टी. लाईन के नीचे 80 फीट सडक रखते हुए ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित किया जावें।

8. **राजस्व ग्राम राजवा के खसरा नं. 112, 115 के रकबा 52 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पश्चिम)**
आवेदक :– श्रीमती संगीता पत्नि श्री दलपत हींगडा
प्रकरण संख्या :– 111/14

राजस्व ग्राम राजवा के खसरा नं. 112, 115 के रकबा 52 बीघा 4 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 से बाहर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के ग्रामीण एरिया मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.10(73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.2005 के अनुसार ग्रामीण एरिया में फार्म हाऊस अनुज्ञेय है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार–विमर्श कर उक्त खसरान के मध्य से एक ग्रेवल रोड गुजर रही है जो पोपावास की तरफ जा रही है जिसको प्रार्थी द्वारा ले–आउट प्लान मे खसरे के किनारे से रोड छोडते हुए मिलाई गई है। यह ग्रेवल सडक जहां बनी हुई व राजस्व नक्शे मे कटाण मार्ग नही है व खातेदारी भूमि ग्रेवल सडक की चौडाई लगभग 15–20 फीट है। निदेशक आयोजना ने बताया कि उक्त ग्रेवल सडक की लम्बाई एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक काफी लम्बी है अतः इसकी चौडाई 100 फीट रखा जाना उचित होगा। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त सडक की चौडाई 100 फीट रखते हुए ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक फार्म हाउस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना उचित होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड मे प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात मे बडे वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम 2013 व राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रावधान लागूं होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति की जानी होगी।

11. **राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नं. 95 के रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा 14 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय एकल (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–दक्षिण)**
आवेदक :– मैसर्स इन्द्र सह. कृषि फार्म जरिये भागीदार श्री प्रकाश जैन एवं श्रीमती आंकाक्षा जैन
प्रकरण संख्या :– 35/14

राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नं. 95 के रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा 14 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत भूमि एस.एस. डबल्यू एस. केनाल के दक्षिण दिशा मे केनाल के सहारे–सहारे स्थित 100 फीट चौडी सडक के दक्षिण दिशा मे स्थित है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है।

ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 21.07.2014 मे उक्त प्रकरण को आवासीय योजना के रूप मे अनुमोदित किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण मे आवसीय योजना के स्थान पर आवासीय एकल (ग्रुप हाउसिंग) पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया है। अतः समिति द्वारा दिनांक 21.07.2014 को पूर्व मे स्वीकृत ले–आउट प्लान को निरस्त करते हुए एकल पट्टा (ग्रुप हाउसिंग) जारी करने हेतु ले–आउट प्लान को अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण मे नियमानुसार प्रार्थी को भूखण्ड के क्षेत्रफल की 5 प्रतिशत भूमि सुविधाओं हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण मे समर्पण की जानी होगी।

14. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नं. 272 के रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा मे से 5656.25 वर्गगज भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पूर्व)
आवेदक :– श्री कैलाशचन्द पुत्र श्री केवलचन्द मोदी
प्रकरण संख्या :– 182/14

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नं. 272 के रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि मे से 5656.25 वर्गगज भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत भूमि जोधपुर से सरदार समंद जाने वाली 100 फीट सडक पर स्थित है जिसे प्रार्थी द्वारा सडक के मध्य से 50 फीट छोडते हुए आवेदन किया है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार–विमर्श कर आवेदित भूमि के पश्चिमी भाग मे सडक के मध्य से 50 फीट रखे जाने हेतु आवश्यक भूमि छोडी जाते हुए प्रश्नगत भूमि का ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय किया गया।

15. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नं. 272 के रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि मे से 5656.66 वर्गगज पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पूर्व)
आवेदक :– श्री कैलाशचन्द पुत्र श्री केवलचन्द मोदी
प्रकरण संख्या :– 183/14

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नं. 272 के रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा मे से 5656.66 वर्गगज भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन का है। अतः शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

16. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नं0 79/4 के रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा 09 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–दक्षिण)
आवेदक :– श्रीमती नर्बदा एवं श्री हीरालाल
प्रकरण संख्या :– 3198/08

उक्त प्रकरण पूर्व मे कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर क्षेत्र जोधपुर से अनुमोदित है जिसमे काफी पट्टे जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किये जा चुके है तथा उक्त ले–आउट प्लान टाउनशिप पॉलिसी अनुसार ही अनुमोदित है। अतः इसमें कोई परिवर्तन/संशोधन नही करने का निर्णय लिया गया।

17. राजस्व ग्राम जाजीवाल गहलोतान् के खसरा नं0 182/1 के रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–उत्तर)
आवेदक :– श्री कोजाराम एवं श्री अशोक कुमार पुत्रान् जगरूपराम
प्रकरण संख्या :– 138/14

संदर्भित भूमि पर मौका रिपोर्ट अनुसार दुकाने बनी हुई है उक्त दुकाने वृक्षारोपण पट्टी मे आ रही है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त दुकानो को हटाकर पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी बैठक मे रखने का निर्णय लिया गया।

18. राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नं. 1/1 के रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा 7 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–दक्षिण)
आवेदक :– श्रीमती शैल आचार्य पत्नि श्री विनोद आचार्य
प्रकरण संख्या :– 44/14

राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नं. 1/1 के रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा 7 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत भूमि सालावास से बासनी जाने वाली मुख्य सडक से पश्चिम दिशा पर 35 फीट सडक पर स्थित है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संयुक्त खातेदारी की भूमि है अतः सक्षम प्राधिकारी से विधिवत बंटवारा नहीं है। मौके पर वेयर हाउस बने है अतः ले–आउट प्लान अनुमोदन किया जाना उचित नही है। सक्षम प्राधिकारी से बंटवारा एवं तरमीम एवं निर्माण हटाने के पश्चात् प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को लिखा जावें।

19. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नं. 192/6 के रकबा 10 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–दक्षिण)
आवेदक :– श्री हीरालाल पुत्र श्री धुलाराम एवं श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री गोपाराम
प्रकरण संख्या :– 61/14

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नं. 192/6 के रकबा 10 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि तक पहुंच के लिए 40 फुट का मार्ग उपलब्ध नही है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के अनुसार आवासीय कॉलोनी हेतु न्यूनतम 40 फीट चौडा पहुंच मार्ग आवश्यक है। अतः प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

20. राजस्व ग्राम लूणी के खसरा नं0 479 के रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–दक्षिण)
आवेदक :– श्री मोहनलाल पुत्र श्री नैनाराम मेघवाल
प्रकरण संख्या :– 51/14

राजस्व ग्राम लूणी के खसरा नं0 479 के रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार से बाहर एवं ग्रामीण एरिया मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.10(73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.2005 के अनुसार ग्रामीण एरिया में फार्म हाऊस अनुज्ञेय है। प्रश्नगत भूमि राजस्व रास्ते पर स्थित है, जिसे 60 फिट चौड़ा किया जाना उचित होगा। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार–विमर्श कर राजस्व रास्ते पर स्थित है, जिसे 60 फिट चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। उक्त भूमि रेल्वे ट्रेक से लगती हुई है। रेल्वे सीमा के समानान्तरण खातेदारी भूमि मे 100 फीट सडक रखते हुए ले–आउट प्लान अनुमोदन किया गया।

21. राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा नं0 335 व 336/4 के रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–दक्षिण)
आवेदक :– श्रीमती विमला देवी, श्रीमती अनुदेवी एवं श्री गुलाबराम।
प्रकरण संख्या :– 73/14

राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा नं0 335 व 336/4 के रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 से बाहर, ग्रामीण एरिया मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.10(73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.2005 के अनुसार ग्रामीण एरिया में फार्म हाऊस अनुज्ञेय है। प्रश्नगत भूमि जोधपुर–पाली सडक के पश्चिम दिशा की ओर जाने वाले कदीमी रास्ते पर स्थित है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूमि पर जाने हेतु कटान मार्ग उपलब्ध नही है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान मे भूमि तक पहुंचने हेतु 60 फीट चौडे रास्ते की भूमि की कीमत आरक्षित मूल्य पर जोधपुर विकास प्राधिकरण को अदा करनी होगी। ले–आउट प्लान को समिति द्वारा अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

22. राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा नं. 62/2 के रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पूर्व)
आवेदक :– श्रीमती घेवर कंवर पत्नि श्री रामसिंह चौहान
प्रकरण संख्या :– 175/14

राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा नं. 62/2 के रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि के पास ही स्थित अनुमोदित आवासीय कॉलोनियों मे से उक्त भूमि को 30 फीट चौडी सडक से एप्रोच उपलब्ध होती है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के अनुसार आवासीय कॉलोनी हेतु न्यूनतम 40 फीट चौडा पहुंच मार्ग आवश्यक है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि का बंटवारा नही करवाया गया है। अतः प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

23. राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा नं. 62/2 मीन के रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पूर्व)
आवेदक :– श्रीमती आशा मोदी पत्नि श्री सीताराम मोदी
प्रकरण संख्या :– 176/14

राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा नं. 62/2 मीन के रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि के पास ही स्थित अनुमोदित आवासीय कॉलोनियों मे से उक्त भूमि को 30 फीट चौडी सडक से एप्रोच उपलब्ध होती है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के अनुसार आवासीय कॉलोनी हेतु न्यूनतम 40 फीट चौडा पहुंच मार्ग आवश्यक है। अतः प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

24. राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नं. 42/2 मीन के रकबा 3 बीघा भूमि पर आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पश्चिम)
आवेदक :– श्री रघुवीरसिंह पुत्र श्री अमरसिंह
प्रकरण संख्या :– 76/13

राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नं. 42/2 मीन के रकबा 3 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि के मार्गाधिकार को 60 फीट चौड़ा करने हेतु सडक के मध्य से 30 फीट छोडते हुए ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुंच मांर्ग एवं मौके पर सडको की सुनिश्चितता करने हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका मे इन्द्राज करवाने हेतु संबंधित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावें।

25. राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नं. 42/2 के रकबा 3 बीघा भूमि पर आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पश्चिम)
आवेदक :– श्री अच्छन कंवर पत्नि श्री रघुवीरसिंह
प्रकरण संख्या :– 75/13

राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नं. 42/2 के रकबा 3 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा जो आवासीय एकल भूखण्ड का पट्टा चाहा है भूखण्ड तक पहुंच मार्ग 40 फीट उपलब्ध है। अतः एकल भूखण्ड हेतु ले–आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुंच मार्ग एवं मौके पर सडको की सुनिश्चितता करने हेतु संबंधित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावें।

26. राजस्व ग्राम भाण्डु कला के खसरा नं. 99/3 के रकबा 7 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–दक्षिण)
आवेदक :– श्री धन्नाराम पुत्र श्री गोरखराम
प्रकरण संख्या :– 19/12

राजस्व ग्राम भाण्डु कला के खसरा नं. 99/3 के रकबा 7 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। परिधि नियंत्रण पट्टी मे आवासीय योजना का ले–आउट प्लान अनुमोदित नही किया जा सकता। अतः प्रकरण को सर्वसम्मति से निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

27. राजस्व ग्राम पुंजला के खसरा नं. 235/8 के रकबा 7 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–उतर)
आवेदक :– श्री नरसिंह सांखला पुत्र री गोपीराम
प्रकरण संख्या :– 107/13

राजस्व ग्राम पुंजला के खसरा नं. 235/8 के रकबा 7 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय श्रेणी मे आरक्षित जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। प्रश्न गत भूमि भदवासिया से माता का थान जाने वाली मास्टर प्लान की 80 फीट सडक पर स्थित है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि का मार्गाधिकार 80 फीट करने हेतु सडक के मध्य से 40 फीट छोड़ते हुए ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावें।

30. राजस्व ग्राम थबुकडा के खसरा नं0 418, 419 के रकबा 8 बीघा भूमि पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–उत्तर)
आवेदक :– श्री धर्माराम व चन्द्राराम पुत्र श्री बेबुराम
प्रकरण संख्या :– 151/14

राजस्व ग्राम थबुकडा के खसरा नं0 418, 419 के रकबा 8 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 से बाहर, ग्रामीण एरिया मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.10(73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.2005 के अनुसार ग्रामीण एरिया में फार्म हाऊस अनुज्ञेय है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूमि पर जाने हेतु रास्ते का मार्गाधिकार 40 फीट रखे जाने की शर्त पर ले–आउट प्लान अनुमोदन किया गया तथा योजना के उतर मे स्थित राजस्व रास्ते को 60 फीट चौडा रखने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक फार्म हाउस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना उचित होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड मे प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात मे बडे वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम 2013 व राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रावधान लागूं होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति की जानी होगी। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावें।

33. राजस्व ग्राम गांगाणा के खसरा नं. 95/5 के रकबा 2 बिस्वा 8 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पश्चिम)
आवेदक :– श्री उत्तम कुमार पुत्र श्री रूपचन्द
प्रकरण संख्या :– 116/14

राजस्व ग्राम गांगाणा के खसरा नं. 95/5 के रकबा 2 बिस्वा 8 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित योजना को पहुंच मार्ग पूर्व मे अनुमोदित योजना के ओपर एरिया (Open Area) मे से दर्शाया गया है। नियमानुसार किसी अनुमोदित योजना के खुले खेत्र (Open Area) मे से पहुंच मार्ग नही दिया जा सकता। अतः प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

34. **राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा नं. 95/3 के रकबा 2 बिस्वा 8 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पश्चिम)**
आवेदक :– श्री टीकम उर्फ टीकमचन्द पुत्र श्री रामलाल
प्रकरण संख्या :– 115/14

राजस्व ग्राम गांगाणा के खसरा नं. 95/3 के रकबा 2 बिस्वा 8 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित योजना को पहुंच मार्ग पूर्व मे अनुमोदित योजना के ओपर एरिया (Open Area) मे से दर्शाया गया है। नियमानुसार किसी अनुमोदित योजना के खुले खेत्र (Open Area) मे से पहुंच मार्ग नही दिया जा सकता। अतः प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

35. **राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा नं. 95/2 के रकबा 17 बिस्वा 13 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पश्चिम)**
आवेदक :– श्री मोहनलाल पुत्र श्री भैराराम मेघवाल
प्रकरण संख्या :– 117/14

राजस्व ग्राम गांगाणा के खसरा नं. 95/2 के रकबा 17 बिस्वा 13 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि के पहुंच मार्ग पूर्व अनुमोदित योजना की 60 फीट एवं 100 फीट से प्राप्त हो रहा है। अतः योजना को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

36. **राजस्व ग्राम मणाई के खसरा नं. 215, 233/1, 232 मीन, 233/1/1 रकबा 35 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–उत्तर)**
आवेदक :– श्री रामजीवन पुंगलिया एवं विष्णुप्रकाश पुंगलिया पुत्र श्री रणछोडदास जी
प्रकरण संख्या :– 148/14

राजस्व ग्राम मणाई के खसरा नं. 215, 233/1/2, 232 मीन, 233/1/1 रकबा 35 बीघा जोधपुर मास्टर प्लान–2023 से बाहर, ग्रामीण एरिया मे स्थित है जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.10(73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.2005 के अनुसार ग्रामीण एरिया में फार्म हाऊस अनुज्ञेय है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है लेकिन आवेदित भूमि में से खसरा नं. 232 मीन, 233/1/1, 233/1/2 की राजस्व नक्शे मे तरमीम नही है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि खसरा नं. 232 मीन, 233/1/1, 233/1/2 की तरमीम नही होने से प्रकरण स्वीकृत नही किया जा सकता है। प्रार्थी उक्तानुसार तरमीम करवाकर पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावें।

38. **राजस्व ग्राम बुझावड के खसरा नं0 427, 427/1 के रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा भूमि पर गैस गोदाम प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पश्चिम)**
आवेदक :– श्रीमती निर्मला पत्नि श्री ओमप्रकाश
प्रकरण संख्या :– 127/15

राजस्व ग्राम बुझावड खसरा नं. 427, 427/1 के रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा 6 बिस्वा भूमि मे से 1 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 मे भू–उपयोग परिधि नियन्त्रण पट्टी मे आरक्षित है जिस पर प्रार्थी द्वारा गैस गौदाम प्रस्तावित किया गया है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 पार्ट–1, जयपुर दिनांक 03.10.2012 के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र गैस गोदाम तकनीकी मानदण्डों की अनुपालना में किये जाने की शर्त पर अनुज्ञेय उपयोग माना है। प्रश्नगत भूमि गंगाणा गांव से झंवर जाने वाले राजस्व रास्ते पर स्थित है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान पर भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा किये गये सीमा का प्रमाणीकरण की भूमि पर सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार विमर्श कर प्रश्नगत भूमि गांगाणा से झंवर जाने वाली सडक को 100 फीट करते हुए ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। गैस गौदाम स्थापना मे इण्डियन रोड कांग्रेस, एम.ओ.आर.टी.एच. भवन विनियमों के मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी। गैस गौदाम स्थापना से पूर्व जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनिमय–2013 के प्रावधानों के अनुरूप सक्षम स्तर पर भवन मानचित्र स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुंच मांर्ग एवं मौके पर सडको की सुनिश्चितता करने हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका मे इन्द्राज करवाने हेतु संबंधित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावें।

39. **राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा नं0 137 के रकबा 2 बीघा भूमि पर गैस गोदाम प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–उत्तर)**
आवेदक :– श्री घनश्याम, श्री सुरेश, श्री मुकेश पुत्रान् श्री द्वारकादास जी
प्रकरण संख्या :– 154/15

राजस्व ग्राम खोखरिया खसरा नं. 137 के रकबा 2 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 मे भू–उपयोग आवासीय श्रेणी मे आरक्षित है जिस पर प्रार्थी द्वारा गैस गौदाम प्रस्तावित किया गया है। ग्राम खोखरिया के खसरा नं. 137 की संदर्भित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय हेतु आरक्षित है जिसमें गैस गौदाम अनुज्ञेय नही है। अतः प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

40. **राजस्व ग्राम पालासनी के खसरा नं0 277/2 के रकबा 12 बीघा मे से 1469.44 वर्गगज भूमि पर गैस गोदाम प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पूर्व)**
आवेदक :– श्री हीराराम पुत्र श्री बस्ताराम
प्रकरण संख्या :– 04/15

तहसीलदार जोधपुर एवं अन्य शाखाओ से रिपोर्ट प्राप्त नही होने के कारण प्रकरण लम्बित रखा गया।

41. **राजस्व ग्राम जाजीवाल विश्नोईयान् के खसरा नं0 235/3 के रकबा 844.42 वर्गगज भूमि पर गैस गोदाम प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पूर्व)**
आवेदक :– श्रीमती संतोष निर्वाण पत्नि श्री सुनिल सिंह
प्रकरण संख्या :– 94/13

राजस्व ग्राम जाजीवाल विश्नोईयान् खसरा नं. 235/3 के रकबा 844.42 वर्गगज भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 से बाहर ग्रामीण एरिया मे आरक्षित है जिस पर प्रार्थी द्वारा गैस गौदाम प्रस्तावित किया गया है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 पार्ट–1, जयपुर दिनांक 03.10.2012 के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में स्थित गैस गोदाम तकनीकी मानदण्डों की अनुपालना में किये जाने की शर्त पर अनुज्ञेय उपयोग माना है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से सडक की चौडाई 100 फीट रखने की शर्त पर गैस गौदाम हेतु ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

42. **राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नं0 753/3, 753/1/2, 753/1/3 के रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर रिसोर्ट प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पूर्व)**
आवेदक :– श्री श्यामलाल पुत्र श्री फूसाराम
प्रकरण संख्या :– 177/14

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नं. 753/3, 753/1/2, 753/1/3 के रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी मे आरक्षित है जिस पर प्रार्थी द्वारा रिसोर्ट प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। प्रेषित ले–आउट प्लान पर संबंधित जोन के भू–प्रबन्ध निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है।

संबंधित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई विवाद नही है। योजना की भूमि मे राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। मौके पर भूमि रिक्त है।

परिधि नियंत्रण पट्टी मे रिसोर्ट अनुज्ञेय है। ग्राम झालामण्ड के खसरा नं. 753/3, 753/1/2, 753/1/3 के रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा भूमि मे रिसोर्ट हेतु ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

43. **राजस्व ग्राम बासनी मालियान् के खसरा नं0 289 एवं खसरा नं. 1 ग्राम बासनी तम्बोलिया का ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–उतर)**

राजस्व ग्राम बासनी मालियान मे प्राधिकरण की सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना का योजना मानचित्र अनुमोदित किया जाकर भूखण्डों का नीलामी के माध्यम से बेचान किया गया है। मौके पर डिमारकेशन के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त योजना के कुछ भूखण्ड समीपीय नाडी के कैचमेन्ट एरिया एवं पानी के आवक के क्षेत्र मे आ गयें है।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.04.2012 के प्रस्ताव संख्या 10 मे सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना मे नाडी के केचमेन्ट एरिया एवं पानी के आवक के क्षेत्र मे स्थित भूखण्डों का चिन्हिकरण कर उन्हे उसी योजना मे अन्यत्र प्रतिस्थापित किया जावें।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना के अनुमोदित योजना मानचित्र के सुपर इम्पोजिशन की कार्यवाही संबंधित उपायुक्त द्वारा करवा दिया गया है एवं योजना के मानचित्र मे तद्नुसार संशोधन कर दिये गये है। समिति द्वारा प्रकरण के संबंध मे विचार–विमर्श कर कॉर्नर के भूखण्ड यथावत रखते हुए निदेशक आयोजना द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप संशोधित योजना मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त मे बैठक सधन्यावद समाप्त हुई।

3. राजस्व ग्राम तिवंरी के खसरा नं. 30/7 के रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पश्चिम)
आवेदक :– श्री सुखाराम पुत्र श्री सदाराम एवं श्री बाबूलाल पुत्र श्री लूकाराम
प्रकरण संख्या :– 110/14

9. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नं. 25/47 के रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा 8 बिस्वांसी भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–दक्षिण)
आवेदक :– श्री गोपीकिशन राठी पुत्र श्री देवकिशन राठी व श्रीमती उषा मंत्री पत्नि श्री अरविन्द मंत्री
प्रकरण संख्या :– 59/14

10. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नं. 25/39 के रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा 7 बिस्वांसी भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–दक्षिण)
आवेदक :– श्री दाऊलाल गांधी पुत्र श्री हंसराज गांधी
प्रकरण संख्या :– 56/14

13. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नं. 25/40 के रकबा 18 बिस्वा 12 बिस्वांसी भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–दक्षिण)
आवेदक :– श्री जवरीलाल चौपडा पुत्र श्री बाबुलाल
प्रकरण संख्या :– 65/14

28. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नं. 25/41 के रकबा 1 बीघा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–दक्षिण)
आवेदक :– श्री मांगीलाल चौपडा पुत्र श्री बाबूलाल
प्रकरण संख्या :– 62/14

29. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नं. 25/35 के रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा 5 बिस्वांसी भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–दक्षिण)
आवेदक :– श्री सतकरण कपुरिया पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार
प्रकरण संख्या :– 46/14

31. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नं. 25/44 के रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा 15 बिस्वांसी भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–दक्षिण)
आवेदक :– श्रीमती रीतू पत्नि श्री मनोज सोलंकी
प्रकरण संख्या :– 54/14

32. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नं. 25/45 के रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा 16 बिस्वांसी भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–दक्षिण)
आवेदक :– श्रीमती शीतल पत्नि श्री पंकज सोलंकी
प्रकरण संख्या :– 54/14

37. राजस्व ग्राम बावरला के खसरा नं. 774 के रकबा 1 बीघा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पूर्व)
आवेदक :– श्री श्यामलाल पुत्र श्री छोगाराम
प्रकरण संख्या :– 171/14

उपरोक्त (क्रम सं. 3, 9, 10, 13, 28, 29, 31, 32, 37) प्रकरणों मे नीति निर्धारण, बिक्री योग्य क्षेत्रफल सुविधा, पार्क एवं सडको की चौडाई बाबत् राज्य सरकार को मार्गदर्शन हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (उत्तर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

निदेशक (अभियांत्रिकी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी, जोधपुर–342001

क्रमांक : एफ–37/निदे. आयो./ले–आऊट/2015/513-518 **दिनांक :** 20/04/2015

ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 20.04.2015 के अनुमोदित कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपी निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, उपायुक्त (पूर्व/दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर — सदस्य
2. श्री ओ.पी. बुनकर, उपायुक्त (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर — सदस्य
3. श्री मोहनसिंह राजपुरोहित, उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर — सदस्य
4. श्री ज्ञानेश्वर व्यास, निदेशक (अभियांत्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर — सदस्य
5. श्री पी.आर. बेनीवाल, निदेशक (आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर — सदस्य सचिव
6. संबंधित प्रार्थी श्री/श्रीमती ....

निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर